

ई-मेल के माध्यम से

प्रेषक

निदेशक

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जातियाँ
एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अन्तोदय (सेवा) विभाग,
हरियाणा चंडीगढ़।

सेवा में

सभी आहरण एवं संवितरण-कम-जिला समाज कल्याण अधिकारी,
हरियाणा राज्य में।

मुख्याध्यापक राजकीय अंध विद्यालय तथा
प्रोढ़ एवं नेत्रहीन प्रशिक्षण केंद्र पानीपत।

क्रमांक: /ई0ए04/सेवा/2025 दिनांक:

विषय: ऑनलाइन ट्रान्सफर पालिसी: लिपिक कैडर।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत करवाया जाता है कि ऑनलाइन ट्रान्सफर पॉलिसी में कवर होने वाले लिपिकों बारे विभाग द्वारा पोर्टल पुनः ओपन कर दिया गया है इसलिए अपने अधीन कार्यरत लिपिकों को अवगत करवाएं कि दिनांक 10.07.2025 से दिनांक 12.07.2025 तक वे इंटरा हरियाणा पोर्टल पर अपना व्यक्तिगत Log In करके इच्छानुसार विकल्प/स्टेशन भरना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त सभी कार्यालय प्रमुखों/प्रभारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि सम्बंधित लिपिकों को विभाग द्वारा जारी की गई ऑनलाइन ट्रान्सफर पालिसी अनुसार निम्न हिदायतों बारे अवगत करवाना सुनिश्चित करें:-

1. कार्यालय वाइज खोले जाने वाले पदों की सूची विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।
2. विभाग में कर्मचारियों की कमी के कारण कुछ पदों को रिक्त/ब्लॉक रखा गया है। कुछ कार्यालयों में कर्मचारियों के अनुपातहीन जमावड़े से बचने के लिए, विभाग द्वारा तबादला अभियान में कुछ वास्तविक रिक्त पदों को रिक्त/ब्लॉक रखा गया है।
3. किसी रिक्त पद पर आबंटन का निर्णय, नीति में वर्णित 80 अंकों में से कर्मचारी द्वारा अर्जित कुल अंकों के आधार पर होगा। सबसे अधिक अंक अर्जित करने वाला कर्मचारी किसी विशेष रिक्त पद पर स्थानांतरित होने का हकदार होगा।
4. यदि किसी कर्मचारी को अपनी इच्छा का स्थान/स्टेशन नहीं मिलता है तो उस कर्मचारी का स्थानांतरण हरियाणा राज्य में किसी भी स्थान/स्टेशन पर कर दिया जायेगा।
5. कर्मचारी को राज्य भर में न्यूनतम 03 स्थान/स्टेशन तथा अधिकतम 05 स्थान/स्टेशन देने होंगे, जहां वह स्थानांतरण चाहता है, वह अपनी इच्छानुसार वरीयता देने के लिए स्वतंत्र होगा।
6. एक बार कर्मचारी द्वारा विकल्प का लाभ उठाने और पुष्टि करने के बाद वह अंतिम होगा और वर्तमान स्थानांतरण ड्राइव के लिए उसे बदला नहीं जा सकेगा।

सभी आहरण एवं संवितरण-कम-जिला समाज कल्याण अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि HRMS Portal की Login ID तथा Password को सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए आप स्वयं जिमेवार होंगे।


अधीक्षक (प्रशा0)

कृते निदेशक, सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अनुसूचित
जातियाँ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृष्ठांकन क्रमांक: 15087

/ई0ए04/सेवा/2025 दिनांक: 09/07/2025

✓ इसकी एक प्रति (सूचि सहित) प्रभारी तकनीकी शाखा, मुख्यालय चंडीगढ़ को विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु भेजी जाती है।

अधीक्षक (प्रशा0)

अधीक्षक (प्रशा0)

कृते निदेशक, सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग हरियाणा, चण्डीगढ़।

**NUMBER OF SEATS OF CLERKS AVAILABLE FOR FILLING UP
STATION OF CHOICE UNDER ONLINE TRANSFER POLICY**

S.No.	Districts	Posts to be open
1.	Chandigarh	16
2.	Ambala	0
3.	Bhiwani	0
4.	Charkhi Dadri	2
5.	Faridabad	0
6.	Fatehabad	0
7.	Gurugram	1
8.	Hisar	3
9.	Jind	0
10.	Jhajjar	0
11.	Kaithal	1
12.	Karnal	2
13.	Kurukshetra	0
14.	Narnaul/Mahendergarh	2
15.	Nuh/Mewat	2
16.	Palwal	1
17.	Panipat	0
18.	Panchkula	0
19.	Rohtak	0
20.	Rewari	0
21.	Sirsa	1
22.	Sonepat	0
23.	Yamuna Nagar	2
24.	GIB Panipat	0
25.	TCAB Panipat	0
Total		33


 Superintendent (Admin.)
 for Director Social Justice & Empowerment,
 Welfare of SCs & BCs and Antodaya (SEWA) Deptt.
 Haryana, Chandigarh.

✓